BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 19 OF 2025

IN THE MATTER OF: **APPLICANT**

JAGDISH & ORS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS **RESPONDENT(S)**

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE No.
1.	Reply on behalf of Respondent No.3- The District Magistrate, Firozabad with affidavit	1-9
2.	**Annexure P/1:-**A true copy of the list of affected persons along with the compensation provided.	10-12
3.	**Annexure P/2:-**True copy of letter dated 30.12.2025	13-14
4.	**Annexure P/3:-**True copy of letter dated 01.11.2025	15
5.	**Annexure P/4:-** True copy of the 13.03.2026 issued by the District Magistrate, Firozabad	16

THROUGH

Place: New Delhi
Date:17/04/2026

Priyanka swami
Advocate
Standing Counsel for SEIAA, U.P.
F-13, Jangpura, New Delhi 110014
E-mail: advpriyankaswami@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 19 OF 2025

IN THE MATTER OF:

JAGDISH & ORS **APPLICANTS**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS **RESPONDENTS**

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3-THE DISTRICT MAGISTRATE, FIROZABAD

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Ramesh Rajan , aged about 39 years S/o Nageshwar Prasad, presently posted as District Magistrate, Firozabad , Uttar Pradesh, Office at Firozabad do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That the statements made by the applicant referring to Sections 15, 17 and 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 are wholly misconceived and untenable in the facts of the present case. The said provisions are applicable only in cases involving authorized activities. In the present matter, the firecracker explosion in Village Naushera occurred due to wholly unauthorized and illegal storage

and manufacture of firecrackers, and therefore, the said provisions are not attracted.

2. That it is submitted that an FIR has already been registered under the relevant provisions of law against Bhuri alias Navi Abdullah, son of Muktar Navi, in relation to the illegal firecracker explosion that occurred on 16.09.2024 in Village Naushera.

3. That it is a matter of record that on 16.09.2024, five persons lost their lives in the said illegal firecracker explosion in Village Naushera, namely Abhinay (son of Dharmendra Kumar), Ichchha (daughter of Dharmendra Kumar), Meera Devi (wife of Mahesh Chandra), Aman Kushwaha (son of Mahesh Chandra), and Gautam (son of Jagdish).

4. That due to the said explosion, six houses were completely damaged and approximately forty-two to forty-three houses were partially damaged. That an FIR has also been registered against Respondent No. 4 under the relevant statutory provisions.

5. That Respondent No. 4, namely Bhura Khan alias Nabiullah, was engaged in unauthorized manufacture of firecrackers in Village Naushera and had never obtained any valid license.

6. That no approval or authorization was ever granted by any competent authority in Mauja Naushera for the alleged activity, and the same was being carried out illegally.

NOTARY GOVT. OF INDIA S.K. Saxena Advocate Shikohabad (Firozabad) Regd. No. 8527

7. That no regulatory approval existed as alleged by the applicant, and the statements to the contrary are denied.

8. That the gist of the applicant's case is that Respondent No. 4 was engaged in unauthorized manufacture and storage of firecrackers in a rented premises without any license, leading to the explosion dated 16.09.2024, which caused fatalities and damage to surrounding properties. It is submitted that an FIR was lodged on 17.09.2024 and immediate rescue and relief operations were carried out by the local administration. The injured were provided medical assistance and the deceased were sent for post-mortem. The matter has been duly investigated.

9. That compensation has already been provided to the affected persons in accordance with Government Order No. 586/Ek-11-2022-4(G)/2015 dated 13.10.2022 issued by the Government of Uttar Pradesh, **True copy of list of affected persons alongwith the compensation provided which is annexed herewith and marked as Annexure P/1**.

10. That as per the said Government Order and related notifications, compensation has been disbursed at the rate of Rs. 6,500/- per partially damaged house, Rs. 5,400/- per injured person, Rs. 4,000/- per animal, Rs. 1,20,000/- per fully damaged house, and Rs.

NOTARY ★ INDIA GOVT. ★ S.K. Saxena Advocate Reg. No.

4,00,000/- per deceased person. Adequate financial assistance has already been provided to the affected beneficiaries.

11. That vide letter dated 30.12.2025 issued from the office of the answering respondent, correspondence has been made to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, regarding compliance of directions in cases of illegal firecracker explosions. **True copy of letter dated 30.12.2025 is attached herewith and marked as Annexure P/2**

12. That it is respectfully submitted that further correspondence dated 01.11.2025 was issued by the Principal Secretary, Government of Uttar Pradesh, addressed to the Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change and Home (Police) Section-5, Lucknow, in reference to the minutes of the meeting dated 22.09.2025 convened under the chairmanship of the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, wherein it was recorded that pursuant to earlier communication dated 26.09.2025, necessary directions had already been issued to curb illegal manufacture, storage and sale of firecrackers and to prevent explosions, and to ensure compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal, including payment of compensation and

consideration of filing a Special Leave Petition before the Hon'ble Supreme Court against the order dated 04.04.2025 passed in Execution Application No. 21/2025 (I.A. Nos. 243/2025 & 242/2025 in Original Application No. 271/2023); it was further recorded that a Government Order dated 10.10.2025 had been issued prescribing regulatory measures for effective control over manufacture, sale, storage and use of firecrackers, and that, at present, no dedicated budgetary provision existed with the Home Department for payment of compensation, thereby necessitating creation of a separate fund which would take time, and accordingly, as an interim measure, compensation in such cases was to be disbursed from the Environment Fund under the control of the Department of Environment, Forest and Climate Change, with the Home Department to assume such responsibility upon creation of the requisite budgetary arrangement. **True copy of letter dated 01.11.2025 is attached herewith and marked as Annexure P/3**

13. That thereafter, vide letter dated 13.03.2026 issued by the answering respondent, further correspondence has been made to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, requesting action for payment of the

remaining compensation amount of Rs. 16,00,000/- per deceased person. **The 13.03.2026 issued by the District Magistrate, Firozabad is annexed herewith and marked as Annexure P/4**.

14. That in view of the facts and circumstances stated hereinabove, it is most respectfully submitted that the answering respondent has taken all necessary and reasonable steps in accordance with law and in compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal, and no further directions are warranted against the answering respondent. The present application, being devoid of merit and based on misconceived and untenable grounds, is therefore liable to be dismissed.

15. It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to dismiss the present application, and pass such other and further orders as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

NOTARY GOVT. OF INDIA S.K. Saxena Advocate Shikohabad (Firozabad) Regd. No. 8327

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at ……………….on this **April, 2026**, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY GOVT. OF INDIA
S.K. Saxena
Advocate
Shikohabad (Firozabad)
Regd. No.-3527

Explained to/Read by Sri ……… who understands the contents thereof solemnly affirmed before me by the above named person on ……… at my office/residence identified by Sri ……… who is personally known to me
Received Fee Rs. ………

Sunil Kumar Saxena Advocate
Notary Govt. of India
Shikohabad (Firozabad)

INDIA NON JUDICIAL 200

IN-UP02466476287625Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Signature........................
Acc Name-ASHISH KUMAR
Acc Code-UP14104104
Tehsil-Shikohabad (Firozabad)
Mobile-9897356788

Certificate No.	:	**IN-UP02466476287625Y**
Certificate Issued Date	:	10-Apr-2026 01:39 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14104104/ FIROZABAD/ UP-FRZ
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1410410400062866504636Y
Purchased by	:	RAMESH RANJAN SON OF NAGESHWAR PRASAD
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAMESH RANJAN SON OF NAGESHWAR PRASAD
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RAMESH RANJAN SON OF NAGESHWAR PRASAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

Sunil [illegible] Saxena
NOTARY
Regd. No. [illegible]
Distt.-Firozabad

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★
S.K. Saxena
Advocate
Regd. No. 8527
Shikohabad (Firozabad)

[illegible] or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding [illegible] renders it invalid

RAMESH RANJAN SON OF NAGESHWAR PRASAD RAMESH RANJAN SON OF NAGESHWAR PRASAD RAMESH RANJAN SON OF NAGESHWAR PRASAD RAMESH RANJAN SON OF

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP02482086810785Y

Signature.............................
Acc Name-ASHISH KUMAR
Acc Code-UP14104104
Tehsil-Shikohabad (Firozabad)
Mobile-9897356788

Certificate No.	:	IN-UP02482086810785Y
Certificate Issued Date	:	10-Apr-2026 01:42 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14104104/ FIROZABAD/ UP-FRZ
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14104104000942605085Y
Purchased by	:	RAMESH RANJAN SON OF NAGESHWAR PRASAD
Description of Document	:	Article 42 Notarial Act
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAMESH RANJAN SON OF NAGESHWAR PRASAD
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RAMESH RANJAN SON OF NAGESHWAR PRASAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

NOTARY GOVT. OF INDIA
S.K. Saxena
Advocate
Shikohabad (Firozabad)
Regd. No.-8527

RAMESH RANJAN SON OF NAGESHWAR PRASAD RAMESH RANJAN SON OF NAGESHWAR PRASAD

Statutory Alert:
... this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding ... details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
... is on the users of the certificate.
... inform the Competent Authority

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुऐ आवासीय मकान में दी गई क्षतिपूर्ति के मालिकों की सूची

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	बैंक का नाम	खाता सं0	धनराशि
1.	संजीव पुत्र फूलन सिंह	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शिकोहाबाद	75255027537	6500/-
2.	राममूर्ति पत्नी रामप्रकाश	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	2049525542	6500/-
3.	गेंदालाल कुशवाह पुत्र बाबूराम	इंडसइंड बैंक शिकोहाबाद	100203570291	6500/-
4.	विनोद कुमार कुशवाह पुत्र चन्द्रभान	इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक शिकोहाबाद	056910244624	6500/-
5.	अखिलेश कुमार पुत्र कल्याण सिंह	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त	081810110002036	6500/-
6.	श्रीमती उपासना पत्नी सुरेन्द्र कुमार	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	3437484405	6500/-
7.	अंकित कुमार पुत्र राम संतोष	इंडसइंड बैंक शिकोहाबाद	100200611522	6500/-
8.	मनोज कुमार पुत्र रामदास	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	3079475713	6500/-
9.	श्रीमती बिजनेश पत्नी जगदीश	भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3423580159	6500/-
10.	पवन कुमार पुत्र महेशचन्द्र	सेंट्रल बैंक इण्डिया शिकोहाबाद	2049564309	6500/-
11.	जयवीर सिंह पुत्र नाथूराम कुशवाह	कैनरा बैंक शिकोहाबाद	86672210013500	6500/-
12.	राजेन्द्र सिंह पुत्र बाबूराम	कैनरा बैंक शिकोहाबाद	86672210031371	6500/-
13.	लाखन सिंह पुत्र एवरन सिंह	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शिकोहाबाद	2049529658	6500/-
14.	राधा रमन पुत्र हरिश्चन्द्र	स्टेट ऑफ इण्डिया शिकोहाबाद	33057616633	6500/-
15.	ओमप्रकाश पुत्र बंगाली बाबू	स्टेट ऑफ इण्डिया शिकोहाबाद	34235793501	6500/-
16.	चन्द्र कुमार पुत्र बंगाली बाबू	कैनरा बैंक शिकोहाबाद	86672210027906	6500/-

17.	हरेन्द्र बाबू बंगाली बाबू	कैनरा बैंक शिकोहाबाद	86672210027959	6500/—
18.	यतेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ पुत्र तुलासी कुलश्रेष्ठ	कैनरा बैंक शिकोहाबाद	86672210025169	6500/—
19.	दिलशाद अब्बासी पुत्र इमामुद्दीन	एच0डी0एफ0सी0 बैंक	59109557580786	6500/—
20.	श्रीमती ऊषा रानी पत्नी संतोष कुमार मोहनता	पंजाब नेशनल बैंक शिकोहाबाद	59109557580786	6500/—
21.	मुस्तकीम पुत्र अहमद यासीन	कैनरा बैंक शिकोहाबाद	86672210027886	6500/—
22.	रवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र केदारनाथ शर्मा	पंजाब नेशनल बैंक शिकोहाबाद	3111000100250587	6500/—
23.	राजपाल सिंह पुत्र ओम प्रकाश	पंजाब नेशनल बैंक शिकोहाबाद	4170000100016927	6500/—
24.	श्रीमती पूनम पत्नी विजय बाबू	बैंक ऑफ इण्डिया शिकोहाबाद	770418210002447	6500/—
25.	नीलम शर्मा पत्नी अरविन्द शर्मा	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शिकोहाबाद	3403967923	6500/—
26.	श्रीमती मीना देवी पत्नी अजयपाल	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शिकोहाबाद	320767388	6500/—
27.	दिलीप कुमार पुत्र महेशचन्द	कैनरा बैंक शिकोहाबाद	110031500549	6500/—
28.	श्रीमती सुनीता पत्नी अशोक कुमार	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शिकोहाबाद	3394552586	6500/—
29.	श्री सीताराम पुत्र श्री श्रीराम	भारतीय स्टेट बैंक शाखा ए0डी0बी0 शिकोहाबाद	34342840267	6500/—
30.	श्रीमती गीता शर्मा पत्नी गंगा सिंह शर्मा	भारतीय स्टेट बैंक शिकोहाबाद	31474719139	6500/—
31.	इन्द्र सिंह पुत्र लालाराम	बैंक ऑफ बडौदा शिकोहाबाद	29228100006233	6500/—
32.	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी ज्ञान सिंह	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शिकोहाबाद	3316034486	6500/—
33.	हरिश्चन्द्र पुत्र गोपीचन्द	यूनियन बैंक शिकोहाबाद	665802010011744	6500/—
34.	श्रीमती रानी पत्नी अशोक कुमार	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शिकोहाबाद	3478093773	6500/—
35.	सुमन देवी पत्नी तेजपाल	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शिकोहाबाद	3281369087	6500/—
36.	पूजा पत्नी राजाराम	बैंक ऑफ बड़ौदा	29228100010966	6500/—
37.	श्यामसुन्दर पुत्र कुंवरपाल	इण्डियन बैंक शिकोहाबाद	207787891696	6500/—
38.	राधेश्याम पुत्र फकीरचन्द	एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा बेलनगंज जिला आगरा	50100293013715	6500/—
39.	जय किशोर पुत्र नाथूराम	बैंक ऑफ बड़ौदा शिकोहाबाद	10023570291	6500/—
40.	श्रीमती शुभा पत्नी वेदप्रकाश	इण्डियन पोस्ट पेंमेंट बैंक शिकोहाबाद	056910336947	6500/—
41.	श्रीमती कल्पना पत्नी राहुल	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	3641937442	6500/—
42.	चन्द्रकान्त पुत्र बदन सिंह	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	3179571582	6500/—

घायल का विवरण

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	बैंक का नाम	खाता सं0	धनराशि
1.	कु0 संजना पुत्री राकेश के घायल होने पर उसकी माता गायत्री देवी पत्नी राकेश कुमार	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	3380282636	5400 रूपये

मरने वाले जानवरों व दी जाने वाली धनराशि का विवरण

क्रमसं0	लाभार्थी का नाम	बैंक का नाम	खाता सं0	धनराशि
1.	06 बकरी मरने पर धर्मेंद्र कुमार पुत्र श्री पातीराम	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	770418210003664	24000 रूपये

पूर्णत आवासीय क्षतिग्रस्त मकान होने पर दी जाने वाली धनराशि का विवरण–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	बैंक का नाम	खाता सं0	धनराशि
1.	अनिल कुमार पुत्र महेशचन्द्र	भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	325558777903	1,20,000 रूपये
2.	धर्मेद्र कुमार पुत्र श्री पातीराम	बैंक ऑफ इण्डिया	770418210003664	1,20,000 रूपये
3.	श्रीमती गायत्री देवी पत्नी राकेश कुमार	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शिको	3380282636	1,20,000 रूपये
4.	श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्याम सिह	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शिको	3682411117	1,20,000 रूपये
5.	श्री रवीकान्त पुत्र चन्द्रभान	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शिको	3680790239	1,20,000 रूपये
6.	श्री गौरव कुमार पुत्र पातीराम	INDUS IND BANK शिकोहाबाद	100211069558	1,20,000 रूपये

मृतक व्यक्तियों के परिवारजनों को दी जाने वाली राशि का विवरण–

मृतक व्यक्तियों के परिजनों को मा0 राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वितीय तल शास्त्री भवन उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ के पत्र सं0–4807 / रा0आ0का0 / 2023–24 दिनांक 17.11.2023 के बिन्दु सं–02 में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर 4,00,000 / – रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

क्रम सं0	मृतक का नाम	बैंक का नाम	खाता सं0	धनराशि
1.	कुमारी इच्छा पुत्री धर्मेन्द्र के पिता धर्मेन्द्र कुमार पुत्र पातीराम	बैंक ऑफ इण्डिया	770418210003664	4,00,000 / –
2.	मृतक गौतम पुत्र जगदीश के विधिक वारिस मॉ विजनेश देवी पत्नी जगदीश	भारतीय स्टेट बैंक शिकोहाबाद	34235801592	4,00,000 / –
3.	मृतक मीरा देवी पत्नी श्री महेशचन्द्र के वारिस अनिल कुमार पुत्र श्री स्व0 महेशचन्द्र	भारतीय स्टेट बैंक शिकोहाबाद	32585877908	4,00,000 / –
4.	अमन कुशवाह पुत्र महेशचन्द्र के वारिस भाई पवन कुमार पुत्र महेशचन्द्र	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शिकोहाबाद	2049564309	4,00,000 / –
5.	अभिनय पुत्र धर्मेन्द्र की माता श्रीमती गायत्री देवी पत्नी धर्मेन्द्र	Indus Ind Bank	100254715252	4,00,000 / –

जारी

जिला मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद।

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

संख्याः 1854 /आयुध सहायक/फिरोजाबाद–2025, दिनांक 30 – दिसम्बर 2025

विषय– **मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में अवैध पटाखा गोदाम में हुए विस्फोट के दृष्टिगत विभिन्न वादों में जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.09.2025 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–5 के पत्र संख्या–6–5099/1019/2025–गृह(पुलिस) अनुभाग–5 होम डिपार्टमैन्ट–1/1130605/2025 दिनांक 01.11.2025 (छायाप्रति संलग्न) जो आपको सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पत्र के प्रस्तर–3 में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मुआवजा सम्बन्धी ऐसे समस्त प्रकरणों में गृह विभाग के नियंत्रणाधीन संगत कोष से ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था होने तक पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नियंत्रणाधीन पर्यावरण कोष से भुगतान किये जाने की व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा की आख्यानुसार जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद के ग्राम नौशहरा में दिनांक 16.09.2024 को पटाखों से जोरदार धमाके होने की आकस्मिक दुर्घटना के कारण हुई 05 (पांच) व्यक्तियों की जनहानि के दृष्टिगत उनके परिवारीजनों/आश्रितों को रूपये 400000/– प्रति जनहानि का भुगतान दैवीय आपदा के अन्तर्गत राज्य आपदा मोचक निधि (S.D.R.F.) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (N.D.R.F.) से सहायता हेतु मानक दरों के अनुसार तत्समय ही कर दिया गया है। (विवरण संलग्न)

अतः प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–5 के पत्र संख्या–6–5099/1019/2025–गृह(पुलिस) अनुभाग–5 होम डिपार्टमैन्ट–1/1130605/2025 दिनांक 01.11.2025 द्वारा दिये गये निर्देशो के कम में जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद के ग्राम नौशहरा में दिनांक 16.09.2024 पटाखों से जोरदार धमाके होने की आकस्मिक दुर्घटनावश हुई जनहानि होने के कारण उनके मृतक आश्रितो को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा O.A. No-44/2021 दिनांक 11.06.2021 व 438/2023 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 के अनुसार रू0 20 लाख प्रति व्यक्ति की क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिलाये जाने हेतु आदेशित किया गया है, पूर्व में प्रत्येक मृतक आश्रित को राज्य आपदा मोचक निधि से मु0 4,00,000.00 रू0 का भुगतान किया जा चुका है। चूंकि प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक 30.01.2026 नियत है। अतः शेष मु0 16,00,000.00 रू0 प्रति व्यक्ति को मुआवजा देने के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
30/12/25
(रमेश रंजन)
जिला मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद।

<u>संख्या व दिनांक यथोपरि।</u>

प्रतिलिपिः– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–5 को शासन के पत्र संख्या–6–5099/1019/2025–गृह(पुलिस) अनुभाग–5 होम डिपार्टमैन्ट–1/1130605/2025 दिनांक 01.11.2025 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02. सुश्री प्रियंका स्वामी, एडवोकेट स्टेट ऑफ यू0पी0 सीनियर पैनल, मा0 उच्चतम न्यायालय/स्थायी अधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार, एन0जी0टी0 नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/12/25
जिला मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद के ग्राम नौशहरा में दिनांक 16.09.2024 को पटाखों से जोरदार धमाका होने की आकस्मिक दुर्घटना के कारण हुई 05 (पाँच) व्यक्तियों की जनहानि के दृष्टिगत उनके परिवारीजनों/आश्रितों को भुगतान किये जाने वाले व्यक्तियों का विवरण

क्र०सं०	मृतक का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	धनराशि
01	कुमारी इच्छा पुत्री धर्मेन्द्र के पिता धर्मेन्द्र कुमार पुत्र पातीराम	बैंक ऑफ इण्डिया	770418210003664	4,00,000/-
02	मृतक गौतम पुत्र जगदीश के विधिक वारिस माँ विजनेश देवी पत्नी जगदीश	भारतीय स्टेट बैंक शिकोहाबाद	34236601592	4,00,000/-
03	मृतक मीरा देवी पत्नी श्री महेशचन्द्र के वारिस अनिल कुमार पुत्र स्व० श्री महेशचन्द्र	भारतीय स्टेट बैंक शिकोहाबाद	32685077908	4,00,000/-
04	अमन कुशवाह पुत्र महेशचन्द्र के वारिस भाई पवन कुमार पुत्र महेशचन्द्र	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	2049564309	4,00,000/-
05	अभिनय पुत्र धर्मेन्द्र की माता श्रीमती गायत्री देवी पत्नी धर्मेन्द्र	Indus Ind Bank Shikohabad	100254715252	4,00,000/-

अपर जिलाधिकारी(वि./रा.),
फिरोजाबाद।

/1019/2025-गृह (पुलिस) अनुभाग-5-home department

I/1130605/2025

ANNEXURE P/3

प्रेषक,

संजय प्रसाद ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव ,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
उत्तर प्रदेश शासन।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांकः 01-11-2025

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण , नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में अवैध पटाखा गोदाम में हुये विस्फोट के दृष्टिगत विभिन्न वादों में जारी निदेशों के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव , उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 22-09-25 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एन0जी0टी0-755/81-7-2025-1715966 दिनांक 26-09-25 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण , नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निर्धारित मुआवजा दिये जाने हेतु , इस प्रकार के अवैध वाणिज्यिक क्रिया कलापों को रोके जाने तथा विस्फोट व अन्य दुर्घटनायें न होने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जाने एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Executive Application NO. 21/2025(I.A. Nos.243/2025 & 242/2025 in Original application no.-271/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में Special leave petition दाखिल किये जाने हेतु गृह विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने का निर्णय संसूचित किया गया है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि संदर्भगत बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 26-09-2025 के प्रस्तर-4 में उल्लिखित निर्णयों के बिन्दु सं0-2 के क्रियान्वयन हेतु गृह विभाग के शासनादेश संख्या 695/छः-पु-5-2025,दिनांक 10.10.2025 (एनेक्जर-01) द्वारा आगामी दीपावली व छठ पर्व के परिप्रेक्ष्य में पटाखों(विस्फोटक पदार्थ) के निर्माण, क्रय-विक्रय, भण्डारण, उपयोग एवं अन्तरण आदि पर प्रभावी नियंत्रण एवं विस्फोटक पदार्थ से होने वाली दुर्घटनाओं से रोकथाम के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

3- जहां तक कार्यवृत्त के बिन्दु सं0-1 के अनुपालन में सन्दर्भगत प्रकरणों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मुआविजा धनराशि का भुगतान किये जाने का बिन्दु सन्निहित है, अवगत कराना है कि विस्फोट से होने वाली क्षति पूर्ति हेतु मुआविजा प्रदान करने के संबंध में वर्तमान में गृह विभाग , उ0प्र0 शासन के पास कोई बजटीय व्यवस्था /मद /कोष नहीं है तथा संदर्भगत कार्यवृत्त दिनांक 26-9-2025 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन हेतु नये सिरे से पृथक से बजटीय व्यवस्था कराये जाने तथा सम्यक विचारोपरान्त अन्य अपेक्षित शासनादेश/नियमावली आदि निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जानी होगी, जिसमें अभी समय लगना स्वाभाविक है, जबकि मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन हेतु तात्कालिकता की स्थिति आसन्न है।

4. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जनपद संभल से संबंधित वाद सं0-438/2023 में पारित आदेश में पर्यावरण कोष से मुआविजा दिये जाने का आदेश पारित किया गया है, अतः उपरोक्त प्रस्तर-3 में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मुआवजा संबंधी ऐसे समस्त प्रकरणों में गृह विभाग के नियंत्रणाधीन संगत कोष /मद आदि की व्यवस्था होने तक पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नियंत्रणाधीन पर्यावरण कोष से ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। मुख्य सचिव , उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 22-09-25 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में गृह विभाग के नियंत्रणाधीन कोष की व्यवस्था यथाशीघ्र होने के उपरान्त ऐसे प्रकरणों में गृह विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,

Digitally signed by
SANJAY PRASAD
Date: 01-11-2025
16:15:01

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर/बुलन्दशहर एवं फिरोजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

संख्याः 2049 /आयुध सहायक/फिरोजाबाद–2025, दिनांक 13 मार्च, 2026

विषय– **मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में अवैध पटाखा गोदाम में हुए विस्फोट के दृष्टिगत विभिन्न वादों में जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.09.2025 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–1854/आयुध सहायक/फिरोजाबाद–2025, दिनांक 30.12.2025 के साथ संलग्न प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–5 के पत्र संख्या–6–5099/1019/2025–गृह(पुलिस) अनुभाग–5 होम डिपार्टमैन्ट–1/1130605/2025 दिनांक 01.11.2025 (छायाप्रति संलग्न) जो आपको सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पत्र के प्रस्तर–3 में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मुआवजा सम्बन्धी ऐसे समस्त प्रकरणों में गृह विभाग के नियंत्रणाधीन संगत कोष से ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था होने तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नियंत्रणाधीन पर्यावरण कोष से भुगतान किये जाने की व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा की आख्यानुसार जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद के ग्राम नौशहरा में दिनांक 16.09.2024 को पटाखों से जोरदार धमाके होने की आकस्मिक दुर्घटना के कारण हुई 05 (पांच) व्यक्तियों की जनहानि के दृष्टिगत उनके परिवारीजनों/आश्रितों को रूपये 400000/– प्रति जनहानि का भुगतान दैवीय आपदा के अन्तर्गत राज्य आपदा मोचक निधि (S.D.R.F.) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (N.D.R.F.) से सहायता हेतु मानक दरों के अनुसार तत्समय ही कर दिया गया है। (विवरण संलग्न)

अतः प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–5 के पत्र संख्या–6–5099/1019/2025–गृह(पुलिस) अनुभाग–5 होम डिपार्टमैन्ट–1/1130605/2025 दिनांक 01.11.2025 द्वारा दिये गये निर्देशो के कम में जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद के ग्राम नौशहरा में दिनांक 16.09.2024 पटाखों से जोरदार धमाके होने की आकस्मिक दुर्घटनावश हुई जनहानि होने के कारण उनके मृतक आश्रितो को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा O.A. No-44/2021 दिनांक 11.06.2021 व 438/2023 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 के अनुसार रू0 20 लाख प्रति व्यक्ति की क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिलाये जाने हेतु आदेशित किया गया है, पूर्व में प्रत्येक मृतक आश्रित को राज्य आपदा मोचक निधि से मु0 4,00,000.00 रू0 का भुगतान किया जा चुका है। चूंकि प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक 20.04.2026 नियत है। अतः शेष मु0 16,00,000.00 रू0 प्रति व्यक्ति को मुआवजा देने के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार। भवदीय,

(रमेश रंजन)
जिला मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद।

संख्या व दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपिः– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–5 को शासन के पत्र संख्या–6–5099/1019/2025–गृह(पुलिस) अनुभाग–5 होम डिपार्टमैन्ट–1/1130605/2025 दिनांक 01.11.2025 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02. सुश्री प्रियंका स्वामी, एडवोकेट स्टेट ऑफ यू0पी0 सीनियर पैनल, मा0 उच्चतम न्यायालय/स्थायी अधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार, एन0जी0टी0 नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

03. सुश्री कीर्ति चौधरी, तहसीलदार, शिकोहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद